न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 02/2022/प्रार्थना पत्र/बउनवान/कैलाश चन्द बनाम अर्जुनलाल वगै0
जीसीएमएस संख्या 2022/173

1. माधोलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पचायत भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

वकील प्रार्थी : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील अप्रार्थी : एकपक्षीय
दायरा दिनांकः 07.01.2022 **निर्णय दिनांक : 29.04.2026**

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थी परिवार के कब्जे काश्त व खाते की आराजी खाता संख्या 341 खसरा नं0 398 रकबा 0.01 हे० वाके ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां राज० में आबादी से लगी हुयी है जिसमें प्रार्थी परिवार का कुंआ स्थित है जो पारिवारिक विभाजन सहमति के आधार पर प्रार्थी के पास है जो कृषि कार्य व फसल तैयार करने के काम आती है जिस पर आज तक प्रार्थी सअधिकार अपने मृतक पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि का निरन्तर उपयोग कर रहा है जिसको लेकर आज तक अन्य सहखातेदार को कोई आपत्ति व उज्र नहीं रहा है।
2. यह कि प्रार्थी ने अपनी खाता भूमि चूंकि आबादी से लगी है आस–पास मकान बने है इस कारण प्रार्थी ने अपनी भूमि पर भविष्य में निर्माण की नियत से करीब 5–7 ट्रोली पत्थर डाल रखे है जो रास्ते से अलग प्रार्थी की खाता भूमि खसरा नं0 398 रकबा 0.01 हे0 में पड़े हुये है तथा कृषि यंत्र भी रखे हुये है। रास्ते व प्रार्थी की भूमि के बीच हेडपम्प लगा हुआ है।
3. यह कि गत सप्ताह अप्रार्थी कम 1 ने अपने चपरासी भेज प्रार्थी को सूचना दी कि एक सप्ताह में अपने पत्थर हटा ले यहां इन्टर लॉकिंग करवायी जावेगी, समय अवधि में पत्थर नहीं हटाये तो अतिक्रमण मान पत्थर हटा दिये जावेगे व पत्थरो को जप्त कर लिया जावेगा।
4. यह कि इस प्रकार अप्रार्थी कम 1 बिना किसी कानूनी हक अधिकार के प्रार्थी की खाता व कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध तरीके से रास्ते के नाम पर निर्माण इन्टर लाकिंग करवाकर प्रार्थी की खाता भूमि हडपने पर आमादा है।
5. यह कि यदि अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी की खाता भूमि पर अवैध कब्जा कर इन्टरलांकिग करवाने में सफल हो गया तो प्रार्थी को अपनी खाता भूमि से महरूम होना पड़ेगा तथा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

आम जन सार्वजनिक रास्ता मान उपयोग उपभोग करेगे जिससे भविष्य में प्रार्थी परिवार की शान्ति भंग होगी, अनावश्यक विवाद होगे और प्रार्थी को मालिकाना हक से वंचित होना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में प्रार्थी के पास इसके अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से अप्रार्थी कम के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर पाबन्द करवाये।

6. यह कि अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थी को गत सप्ताह इन्टर लॉकिंग करने की धमकी दी है इसलिए अप्रार्थी कम 1 को ता फैसला वाद जयें अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।
7. यह कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है क्योकि प्रार्थी खाता भूमि खसरा नं० 398 रकबा 0.01 हे० का रिकार्डेड खातेदार है तथा सअधिकार काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है।
8. यह कि सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू पूर्णतया प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी कम 1 को प्रार्थी की खाता भूमि पर किसी प्रकार कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उसके पत्थर हटाकर इन्टर लॉकिंग करवाये तथा खाता भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित करें। अगर अप्रार्थी कम 1 अपने मसुंवो में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपनी खाता भूमि से वंचित होना पड़ेगा जिससे प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं है।
9. यह कि प्रार्थना–पत्र से संबन्धित अन्य सुसंगत तथ्य दोराने बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः सादर प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी कम 1 को ता फैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी परिवार की खाता भूमि खाता संख्या 341 खसरा नं0 398 रकबा 0.01 हे० पर किसी प्रकार की दखलान्दाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 341 खसरा नं0 398 रकबा 0.01 हे० वाके ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल आराजी में दखलअंदाजी नही करने हेतु अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। चुकि प्रार्थी विवादित आराजी पर रिकार्डेड खातेदार नही है एवं न ही रिकार्डेड खातेदारान/सह–खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने पारिवारिक सहमति के आधार पर उक्त विवादित आराजी पर कब्जा होना बताया है लेकिन ऐसा कोई समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : प्रार्थी द्वारा स्थानिय निकाय ग्राम पंचायत भटवाडा के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी है। यदि हस्तगत प्रकरण में समुचित साक्ष्य के अभाव में अस्थायी

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो लोक हित प्रभावित होगा। प्रार्थी के हक अधिकार वादपत्र की सुनवाई एवं निर्णय में निर्धारित किये जायेगें। ऐसी स्थिती में अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील एकपक्षीय, राजस्व रिकोर्ड के आधार पर एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दुओ पर विचार करने के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल